ग्राम पंचायत डूग्घा, विकास खण्ड बमसन, जिला हमीरपुर के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 01.04.14 से 31.03.17 के

भाग- एक

1 **(क) प्रस्तावना :-**

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व सयुंक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 **द्वारा** पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि.प्र., को सौंपे जाने के **दृश्टिगत** ग्राम पंचायत डूग्घा, विकास खण्ड बमसन, जिला हमीरपुर के अवधि 01.04.14 से 31.03.17 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग **द्वारा** किया गया I

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान/सचिव कार्यरत थे:-

प्रधान :-

क्र॰ सं॰	नाम	अवधि
1	श्री रविन्दर पटयाल	01.04.14 से लगातार

सचिव :-

क्र॰ सं॰	नाम	अवधि
1	श्री सतीश कुमार	01.04.14 से 31.03.17

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार:-

ग्राम पंचायत डूग्घा, विकास खण्ड बमसन के लेखाओं अवधि 01.04.14 से 31.03.17 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है ।

क्र०सं०	पैरा सं०	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (लाखों में)
1	4.1	रोकड़ वही का बैंक खातों से नियमानुसार मिलान न करना जिसके फलस्वरूप रोकड़ वही व बैंक खातेdedd **के अन्तशेश** में अन्तर पाया जाना	0.03
2	4.2	Water Shed के बैंक खातों **में जमा राशि की** रोकड़ वही प्रस्तुत न करना ।	1.75
3	5	पंचायत राजस्व वसूली हेतु शेष	0.21
4	6	अनुदान का उपयोग न करना	26.63
5	7	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही	3.35

		स्टॉक/स्टोर का क्रय करना	
6	8	निर्माण सामग्री के क्रय में वैट के रूप में नियमित भुगतान	0.02
7	10	निर्माण कार्यों में **अधिक मात्रा में उपयोग दर्शायी गई सामग्री के कारण** हानि	0.04

esaesae भाग- दो

2 वर्तमान अंकेक्षण:-

ग्राम पंचायत डूग्घा, विकास खण्ड बमसन, जिला हमीरपुर के अवधि 4/2014 से 03/2017 तक के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री संदीप कमल, अनुभाग अधिकारी व श्री **नरेन्द्र** कुमार, आर्टिक्ल सहायक **द्वारा** दिनांक 01.08.17 से 04.08.2017 तक ग्राम पंचायत कार्यालय मे किया गया I लेखाओं की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए मासों का चयन निम्न प्रकार से किया गया I

वित्तीय वर्ष	**आय**	**व्यय**
2014-15	03/2015	02/2015
2015-16	03/2016	05/2015
2016-17	03/2017	02/2017

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी **द्वारा** उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है I उक्त पंचायत **द्वारा** अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई किसी भी गलत सूचना/ अभिलेख के अपूर्ण/ गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि.प्र. उत्तरदायी नहीं होगा ।

3 अंकेक्षण शुल्क :-

ग्राम पंचायत डूग्घा, विकास खण्ड बमसन, जिला हमीरपुर के अवधि 4/2014 से 3/2017 तक के लेखाओं का अंकेक्षण शुल्क ₹7200 बनता है । उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग (हि०प्र०) शिमला-9 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 453(a) दिनांक 04.08.17 **द्वारा** अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में पंचायत **द्वारा** ड्राफ्ट संख्या 594881(PNB) दिनांक 17.08.17 **के माध्यम से**

उक्त राशि को निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग (हि०प्र०) शिमला-171009 को प्रेषित कर दिया गया I

4. वितीय स्थिति :-

ग्राम पंचायत डूग्घा, **द्वारा** प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01.04.14 से 31.03.17 के लेखाओं की वितीय स्थिति निम्न प्रकार से थी:-

(1) स्व स्त्रौत :- ग्राम पंचायत डूग्घा, के अवधि 01.04.14 से 31.03.17 तक की स्व स्त्रौतों की वित्तीय स्थिति का विवरण :-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2014-15	678942	63209	742151	19911	722240
2015-16	722240	71791	794031	45587	748444
2016-17	748444	200078	948522	76335	872187

(2) अनुदान :- ग्राम पंचायत डूग्घा, के अवधि 01.04.14 से 31.03.17 तक की अनुदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न परिशिष्ट-1 में भी दिया गया है :-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2014-15	351933	2072398	2424331	1864564	559767
2015-16	559767	2639226	3198993	2111268	1087725
2016-17	1087725	6148007	7235732	4572242	2663490

बैंक समाधान विवरणी :-

स्व स्त्रौत :-

दिनांक 31.03.17 को रोकड़ वहियों में अन्तिम शेष : ₹872187

अनुदान :-

दिनांक 31.03.17 को रोकड़ वहियों में अन्तिम शेष : ₹2663490

कुल अन्तशेश : ₹3535677

दिनांक 31.03.17 को बैंक खातों में अन्तिम शेष : ₹3534625.22

हस्तगत राशि : ₹430

बैंक खाता संख्या	**राशि**
GEN.-B, KCCB -06238	493601
IAY, SBP -59722	2009
RAY, SBP -60283	1967
TSC/NBA, PNB -09912	227292.64
SC/ST-A, UCO -04937	4565
SDP, PNB -10071	10153
VKVNY, PNB-19498	17189.64
GEN-A, PNB -56076	621215.64
GEN-A, KCCB -01250	15406
GEN-A, SBI-48670	21266.66

SJRY GEN-A, KCCB -06556	573
13TH & 14TH FC , PNB-19504	2106821.64
13TH FC, KCCB-06806	12565
MNREGA, SBP -22701	0
कुल राशि	**3534625.22**

Bank Reconciliation Statement

Particulars	Debit	Credit
Balance a per Cash Book as on 31.03.17	3535677	-
Interest credited by bank but not entered in Cash Book	2135	-
Account No Dated Amount		
Gen-A-48670 30.06.13 357/-		
Gen-A-48670 31.12.13 370/-		
IAY-59722 25.03.17 20/-		
RAY-60283 25.03.17 223/-		
SC/ST-4937 11.07.16 44/-		
SC/ST-4937 07.10.16 45/-		
SC/ST-4937 09.01.17 46/-		
GEN-A-48670 25.06.16 406/-		
GEN-A-48670 25.09.16 208/-		
GEN-A-48670 25.12.16 208/-		
GEN-A-48670 25.03.17 208/-		
Cash in Hand		430
Balance as per Pass Book	-	**3534625.22**
Difference	-	**2757**
Total	**3537812**	**3537812**

4.1 रोकड़ वही का बैंक खातों से नियमानुसार ds मिलान न करना जिसके फलस्वरूप रोकड़ वही व बैंक dsखाते के अन्तशेश में ₹0.03 लाख का अन्तर पाया जाना :- ds

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(3) व 10(1) के अनुसार पंचायतों की रोकड़ वही के शेषों का बैंक खातों के शेष से मिलान करना अनिवार्य है। जबकि पंचायत की रोकड़ वही के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत **द्वारा** अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ वही व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था, जिस कारण से दिनांक 31.03.17 को रोकड़ वही में दर्ज प्रविष्टियों के अनुसार रोकड़ वही एवं बैंक के अन्तिम शेष में ₹ 2757 का अन्तर पाया गया, जिस बारे स्थिति स्पष्ट करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 453 दिनांक 04.08.17 **द्वारा** स्थिति स्पष्ट करने हेतु कहा गया था, जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या 36 दिनांक 04.08.17 **द्वारा** सूचित किया गया कि उक्त अन्तर की जांच उपरान्त वस्तुस्थिति से अंकेक्षण को सूचित कर दिया जाएगा । अतः ₹2757 के अन्तर बारे स्थिति स्पष्ट करें अन्यथा इसकी वसूली

उचित स्त्रौत से करके पंचायत के खाते में जमा करना सुनिश्चित करें एवं अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाएँ एवं भविष्य में पंचायत की रोकड़ वहियों के शेषों से बैंक खातों के शेष के साथ मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाए एवं रोकड़ वहियों को सत्यापित करवाना भी सुनिश्चित करें एवं अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाएँ ।

4.2 बैंक खातों में जमा ₹1.75 लाख जो Water Shed से संबन्धित है की **रोकड़ वही प्रस्तुत न करना :-**

जांच में पाया कि पंचायत में निम्नलिखित बैंक खाते **जो** Water Shed **से संबन्धित** थे जिनमें दिनांक 31.03.17 को **₹174865** जमा थे एवं इन खातों के रख-रखाब की रोकड़ वही अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत नहीं की गई, जिससे इन खातों से किए गए व्ययों की जांच नहीं की जा सकी । अंकेक्षण के दौरान अंकेक्षण अधियाचना संख्या 453 दिनांक 04.08.17 **द्वारा** रोकड़ वही प्रस्तुत करने हेतु कहा गया था, जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या 36 दिनांक 04.08.17 **द्वारा** सूचित किया गया कि इन खातों का रख-रखाव रोकड़ वही में किया गया है एवं प्रस्तुत कर दी जायेगी, लेकिन अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत नहीं की गई । अतः इन खातों से संबन्धित रोकड़ वही एवं व्यय से संबन्धित अभिलेख आवश्यक जांच हेतु प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें । खातों का विवरण निम्नलिखित है :-

खाता संख्या	**दिनांक 31.03.17 को जमा राशि**
KCCB- Tauni devi 20089029653	21462
KCCB- Tauni devi 20089032236	153403

5 पंचायत राजस्व ₹0.21 लाख वसूली हेतु शेष:-

पंचायत की स्व स्त्रौतों से प्राप्त आय का संबन्धित उपलब्ध अभिलेख से अंकेक्षण करने पर पाया गया कि गृहकर, मोबाइल टावर फीस एवं शादी पंजीकरण फीस रूप में वसूली हेतु ₹20880 शेष थी, जिसकी वसूली करना सुनिश्चित करें एवं नियमानुसार गृहकर का रजिस्टर भी तैयार करना सुनिश्चित करें । निम्न विवरणानुसार दिनांक 31.03.17 तक पंचायत के राजस्व ₹20880 की वसूली शेष थी ।

1. गृहकर :

वर्ष	अथशेष	गृहकर की मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि
2014-15	0	33320	33320	0	33320
2015-16	33320	33600	66920	15480	51440
2016-17	51440	34120	85560	80780	4780

2. शादी की पंजीकरण फीस के रूप में ₹600 की कम वसूली :-

सयुंक्त निदेशक, पंचायती राज विभाग की अधिसूचना संख्या PCH-HA(1)8/2013-Marriage 8017-8110 दिनांक 28.10.16 के अन्तर्गत विवाह के 30 दिन के भीतर पंजीकरण हेतु विवाह पंजीकरण फीस ₹ 200 (बी.पी.एल.परिवार ₹25) एवं 30 दिन के उपरान्त व 90 दिन के भीतर विवाह पंजीकरण फीस ₹400 (बी.पी.एल.परिवार ₹ 50) प्रति विवाह की दर से वसूल

की जानी अपेक्षित है । जांच में पाया कि अवधि 01.11.16 से 31.03.17 तक ग्राम पंचायत में कुल 14 विवाह् पंजीकरण हुए थे एवं कुल ₹2875 पंजीकरण फीस वसूलना अपेक्षित थी, जबकि फीस की वसूली 11 विवाह् पंजीकरण फीस ₹2275 की गई थी । अर्थात विवाह् पंजीकरण फीस के रूप में ₹600 कम वसूल किए गए थे, जिस बारे स्थिति स्पष्ट करें अन्यथा उचित स्त्रौत से वसूली करना सुनिश्चित करें ।

3. अंकेक्षण के दौरान अंकेक्षण अधियाचना संख्या 453 दिनांक 04.08.17 **द्वारा** पंचायत क्षेत्र में स्थापित कुल मोबाइल टावर की संख्या से अवगत करवाने हेतु कहा गया था जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या 36 दिनांक 04.08.17 **द्वारा** अंकेक्षण को सूचित किया गया कि पंचायत क्षेत्र में कुल तीन मोबाइल टावर स्थापित हैं (वोडाफ़ोन, आइडिया व रिलायंस कंपनी) जिसमे से वोडाफ़ोन व आइडिया की नवीनीकरण फीस नियमित रूप से आ रही है लेकिन रिलायंस कंपनी का मोबाइल टावर जो वर्ष 2011-12 में पंचायत क्षेत्र में स्थापित किया गया था, की स्थापना फीस एवं नवीनीकरण फीस प्राप्त नहीं की गई थी । अतः रिलायंस कंपनी के मोबाइल टावर की स्थापना फीस ₹4000 एवं नवीनीकरण फीस ₹15500 (अवधि 2012-13 से 2013-14 तक ₹2000 प्रति वर्ष एवं वर्ष 2014-15 से 2016-17 तक ₹2500 प्रति वर्ष) की वसूली करना अपेक्षित है । अतः ₹15500 की वसूली मोबाइल टावर कंपनी से करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

6 अनुदान ₹26.63 लाख का उपयोग न करना :-

पंचायत **द्वारा** अनुदानों से संबन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना (परिशिष्ट-1) के अनुसार दिनांक 31.03.17 तक अनुदान ₹2663490 उपयोग हेतु शेष थी । ग्राम पंचायत **द्वारा** विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ- साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने बाले लाभ से वंचित होना पड़ा । अतः अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ोतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाये अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण संबन्धित संस्था को किया जाये ।

7 औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ₹3.35 लाख के **स्टॉक/स्टोर का क्रय करना:-**

हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67 (4), 67 (5) एवं 69 **द्वारा** स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकतायें (निविदायें इत्यादि आमंत्रित करना) प्रावधित है । व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि परिशिष्ट-2 में दिये गए विवरणानुसार पंचायत **द्वारा** ₹335271 के स्टॉक/स्टोर का क्रय निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया, जो कि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपतिजनक है । अतः स्टॉक/स्टोर का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित

करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए ।

8 **निर्माण सामग्री के क्रय में वैट के रूप में ₹2331 का अनियमित भुगतान :-**

प्रस्ताव संख्या 8 दिनांक 20.12.14 **द्वारा** मैसेर्ज महावीर स्टोन क्रशर के पक्ष में निर्माण सामग्री की दरें अनुमोदित की गई थी जिसमें मैसेर्ज महावीर स्टोन क्रशर ने वैट 5% दरों के अतिरिक्त लेने संबन्धित कोई शर्त नहीं रखी गई थी, अर्थात आपूर्तिकर्ता की दरें वैट सहित थी । जबकि जांच में पाया कि निम्नलिखित निर्माण सामग्री के आपूर्ति बिलों के भुगतान के दौरान मैसेर्ज महावीर स्टोन क्रशर को 5% की दर से वैट का भी भुगतान किया गया था जो कि वास्तव में देय नहीं था । अतः वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 में पंचायत के विभिन्न कार्यों के निर्माण हेतु उक्त दरों पर क्रय की गई सामग्री में वैट के रूप में भुगतान की गई राशि की गणना अपने स्तर पर करके वसूली करना सुनिश्चित करें । चयनित माहों के व्ययों की जांच में पाया कि निम्नलिखित क्रय में वैट के रूप में ₹2331 का भुगतान अनियमित रूप में किया गया था जिसकी वसूली उचित स्त्रौत से करना सुनिश्चित करें ।

क्र॰ सं	वाउचर संख्या	बिल का विवरण	सामग्री का विवरण	राशि	वैट की राशि	कार्य का नाम
	General Cash Book					
1	12 दिनांक 19.05.15	Bill No. 2481 Dated 22.04.15, M/s Mahavir Stone Crusher	निर्माण सामग्री	15497.00	757	नि. सम्पर्क मार्ग व पुली कांशी राम के घर के पास, पजाहली
2	13 दिनांक 19.05.15	Bill No. 2496 Dated 30.04.15, M/s Mahavir Stone Crusher	निर्माण सामग्री	14364.00	684	नि. सम्पर्क मार्ग, सतीश कुमार के घर से मान चन्द के घर तक
	MNREGA					
3	24 दिनांक 12.06.15	Bill No. 2489 Dated 12.03.15, M/s Mahavir Stone Crusher	निर्माण सामग्री	18690.00	890	-

उक्त अनियमितता बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या 453 दिनांक 04.08.17 **द्वारा** स्थिति स्पष्ट करने हेतु कहा गया था जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या 36 दिनांक 04.08.17 **द्वारा** सूचित किया गया कि उक्त वसूलियाँ कर ली जायेंगी । अतः की गई कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाएँ ।

9 **निर्माण सामग्री के क्रय में ₹ 400 का अधिक भुगतान :-**

चयनित माह 05//2015 के वाउचर संख्या 12 दिनांक 19.05.15 (सामान्य रोकड़ वही) की जांच में पाया कि मैसर्ज महावीर स्टोन क्रशर से बिल संख्या 2481 दिनांक 22.04.15 **द्वारा** ₹15497 की निर्माण सामग्री का क्रय किया

गया था जबकि भुगतान चैक संख्या 206754 दिनांक 19.05.15 **द्वारा** ₹15897 का किया गया था, अर्थात उक्त क्रय में ₹400 का अनियमित रूप से अधिक भुगतान किया गया था जिसकी वसूली उचित स्त्रौत से करना सुनिश्चित करें एवं अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाएँ ।

10 **निर्माण कार्यों में अधिक मात्रा में दर्शाई गई सामग्री के कारण ₹0.04 लाख की हानि :-**

1. "नि. वर्षा शालिका शमशान घाट, डूग्घा " :

वाउचर संख्या 31 माह 06/2014 की जांच में पाया कि बिल संख्या 2026 दिनांक 10.06.14 **द्वारा** मैसेर्ज महावीर स्टोन क्रशर से 6.5 CUM रेत का क्रय ₹7962 में किया गया था, जबकि माप पुस्तिका 8440 पृष्ठ 9-12 में उक्त निर्माण कार्य के परिमाप की प्रविष्टियों की जांच में पाया कि इस कार्य के लिए रेत का प्रयोग 5.5 CUM किया गया था । अतः ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त कार्य में रेत का अधिक क्रय करके दुरुपयोग किया गया था, जिस बारे स्थिति स्पष्ट करें अन्यथा 1 CUM रेत @ ₹1225 प्रति CUM की दर से ₹1225 की वसूली उचित स्त्रौत से करना सुनिश्चित करें ।

2. "नि. सम्पर्क मार्ग बाबा की कुटिया से शमशान घाट, वार्ड-2 " :

वाउचर संख्या 83 दिनांक 15.03.15 की जांच में पाया कि बिल संख्या 2185 दिनांक 23.12.14 **द्वारा** मैसेर्ज महावीर स्टोन क्रशर से 8 CUM पत्थर का क्रय किया गया था, जबकि माप पुस्तिका 5467 पृष्ठ 54-57 में उक्त निर्माण कार्य के परिमाप की प्रविष्टियों की जांच में पाया कि इस कार्य के लिए पत्थर का प्रयोग 7 CUM किया गया था । अतः ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त कार्य में पत्थर का अधिक क्रय करके दुरुपयोग किया गया था, जिस बारे स्थिति स्पष्ट करें अन्यथा 1 CUM पत्थर @ ₹1140 प्रति CUM की दर से ₹1140 की वसूली उचित स्त्रौत से करना सुनिश्चित करें ।

3. "नि. सम्पर्क मार्ग जुल्फी राम के घर से मेन सड़क तक " :

वाउचर संख्या 2 दिनांक 06.04.16 की जांच में पाया कि बिल संख्या 2497 दिनांक 15.06.15 **द्वारा** मैसेर्ज महावीर स्टोन क्रशर से 12 CUM बजरी का क्रय किया गया था, जबकि माप पुस्तिका 5467 पृष्ठ 43-44 में उक्त निर्माण कार्य के परिमाप की प्रविष्टियों की जांच में पाया कि इस कार्य के लिए बजरी का प्रयोग 10.72 CUM किया गया था । अतः ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त कार्य में बजरी का अधिक क्रय करके दुरुपयोग किया गया था, जिस बारे स्थिति स्पष्ट करें अन्यथा 1.28 CUM बजरी @ ₹1200 प्रति CUM की दर से ₹1536 की वसूली उचित स्त्रौत से करना सुनिश्चित करें ।

अतः ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त कार्यों में रेत, पत्थर व बजरी का अधिक क्रय करके दुरुपयोग किया गया था, जिस बारे स्थिति स्पष्ट करें अन्यथा ₹3901 की वसूली उचित स्त्रौत से करना सुनिश्चित करें ।

उक्त अनियमितता बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या 453 दिनांक 04.08.17 **द्वारा** स्थिति स्पष्ट करने हेतु कहा गया था जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या 36 दिनांक 04.08.17 **द्वारा** सूचित किया गया कि उक्त वसूलियों की जांच उपरान्त बाद में अवगत करवाया जायेगा । अतः की गई कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाएँ ।

11 पंचायत की अतिरिक्त राशि को नियमानुसार निवेश न करना :-

हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 11 के अनुसार प्रत्येक पंचायत **द्वारा** उपलब्ध अतिरिक्त निधियों को पंचायत **द्वारा** प्रस्ताव पारित करके राष्ट्रीयकृत बैंक, सहकारी बैंक अथवा सरकारी प्रतिभूतियों में इस प्रकार से निवेशित किया जाना अपेक्षित है कि इन पर अधिकतम लाभ कमाया जा सके । परन्तु ग्राम पंचायत **द्वारा** इस नियम की अनुपालना नहीं की गई थी तथा अंकेक्षण अवधि के दौरान कोई निवेश नहीं किया गया था, जबकि वितिय स्थिति के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि पंचायत के पास प्रतिवर्ष निधियों में काफी मात्रा में अतिरिक्त शेष उपलब्ध था । इस चूक के कारण संसाधनों की कमी से जूझ रही पंचायत को अतिरिक्त ब्याज के रूप में होने वाले लाभ से वंचित होना पड़ा । इस बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण से अवगत करवाया जाये ।

12 विहित रजिस्टरों का रख रखाब न करना :-

हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत पंचायत **द्वारा** विभिन्न रजिस्टरों /अभिलेखों का रख रखाब किया जाना अनिवार्य था । अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत **द्वारा** निम्न रजिस्टरों / अभिलेखों का रख रखाब नहीं किया गया था, जो कि अनियमित व आपतिजनक है । अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख रखाब किया जाना सुनिश्चित किया जाए ।

1. अनुदान रजिस्टर
2. यात्रा भत्ता बिल का जांच पड़ताल रजिस्टर ।
3. गृहकर का रजिस्टर तैयार न करना ।
4. अग्रिम रजिस्टर तैयार न करना ।
5. रसीद बुकों का इन्द्राज भण्डार रजिस्टर में न करना ।
6. मोबाइल टावर फीस के रख-रखाब का रजिस्टर तैयार न करना ।

13 प्रत्यक्ष सत्यापन :-

हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है, परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत **द्वारा** भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नहीं किया गया है जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए ।

14 **लघु आपति विवरणिका :-**इसे अलग से जारी नहीं किया गया अपितु छोटी -2 आपतियों का अंकेक्षण के दौरान ही निपटारा कर दिया गया I

15 **निष्कर्ष :-**लेखों में भी सुधार की भी आवश्यकता है ।

हस्ता/–
(ज्ञान चन्द शर्मा)
सहायक निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620046

पृष्ठांकन संख्याः– फिन (एल0ए0) एच (पंच) (15)(6)30/2017 खण्ड–1–136–139 दिनांक 06.01.2018
शिमला–09

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कुसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

2 जिला पंचायत अधिकारी, हमीरपुर, जिला हमीरपुर, हि0प्र0

3 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड बमसन, तहसील हमीरपुर, जिला हमीरपुर हि0प्र0

पंजीकृत 4 सचिव, ग्राम पंचायत डुग्धा, विकास खण्ड बमसन, तहसील हमीरपुर, जिला हमीरपुर हि0प्र0 को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उतर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

हस्ता/–
(ज्ञान चन्द शर्मा)
सहायक निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620046